



- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रसिद्धि मित्रों से सूचनाएं संकलित कर संस्था की प्रमुख मुद्दों पर छात्रों को सूचित करने के लिए प्रचार-सत्र, प्रदर्शन, रक्त दान आदि कार्य करना।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रक्रिया में जो कुछ पाठ्यक्रम अप्रभावी बनने के साथ-साथ शिक्षण के संस्था में संस्था स्तर पर आवश्यक सुविधाएं कहीं नहीं।
- ✓ संस्था का सुविधाओं को से कि संस्था के प्रशासनिक/संचालित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने में जो निर्देशन समिति के संस्था स्तर पर करने पर अधिपति, प्रोफेसर, प्रोफेसर, उपस्थित उपस्थित या यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संस्था में प्रयोग किया जाता है और परिपत्र को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सफल करने वाले को कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्वीकृत निर्देशन के दौरान यदि संस्था में प्रोफेसर, प्रोफेसर, उपस्थित उपस्थित पर अन्य कार्य-सत्र पीपीपीआई/परिपत्र के मातहत प्रयोग नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सफल कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सत्रों का अनुपालन न करने वाले अक्षर सत्रों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुशासनगत कार्यवाही की जाएगी।

*Rhea*  
 (एफआईए सत्र)  
 सचिव।

एफआईए/परिपत्र सम्बद्धता/2012/11138-11211

तारीख: 23-12-2022

वित्तिय-प्रशासनिक/वित्तिय-प्रशासनिक/वित्तिय-प्रशासनिक/वित्तिय-प्रशासनिक/वित्तिय-प्रशासनिक

*Rhea*  
 (एफआईए सत्र)  
 सचिव।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या: प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2023/120900001

सखनऊ, दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय ज्ञापन:

उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा ब्रेडिंक सत्र 2022-23 में सर्वोच्च शिक्षण स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 25-08-2023 को पीएच कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जायेगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 2189-KARAMAT COLLEGE OF PHARMACY

ए०आइ०सी०टी०पी०ई०पी० पी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता 80

पाठ्यक्रम का नाम

DIPLOMA IN PHARMACY

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ उत्तम शिक्षा अनुभव उ उत्तर प्रदेश शासन के पा संस्था 311/18-2009/902022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व में स्थापित संस्था संस्थाओं की शर्तों के दिखाने मानक न्यायालय में दर्जित रिट प्राविधिक संस्था 2023/2023 में दर्जित न्यायालय में उत्तम शिक्षा के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ सत्र अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तें अनुमोदन प्राप्त करनी।
- ✓ अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्था में सफलतापूर्वक (एच० एच० डेग० उपकरण) अदि उपकरण है।
- ✓ संस्था उत्तम उत्तम प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम 1982, विनियम 2002, सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 तथा सत्र 2023-24 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है। एक्ट द्वारा निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उपकरण उपकरण के अतिरिक्त उपकरणों से सुलभ के सम्बन्ध में सत्र 2023-24 हेतु अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तें अनुमोदन प्राप्त करनी।
- ✓ सत्र में स्थापित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को सत्र सत्र एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुलभ प्राप्त करनी होगी।

*(Handwritten signature)*

- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश वास्तव द्वारा निर्गत विधि/विधियों/अधिनियमों/कारण-व्यवस्था/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्रायोगिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित परिषद, उत्तर प्रदेश प्रायोगिक शिक्षा परिषद, जयपुरा द्वारा बननी एवं विधायी विधियाँ, आदेशों, निर्देशों का पालन के लिए आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होना है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायित्व के प्रायोगिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रायोगिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के विरुद्ध कोई कोई प्राद द्वारा किया जाता है तथा द्वारा कद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंध में निर्णय किया जा सकता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अध्यापक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए प्रायोगिक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त का ले कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अतः प्राद उक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत अधीनस्थ आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रायोगिक शिक्षा के पुरादाख पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूची में राज्य, संकेतसूचक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुल्के, छात्रावास सुलक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक उपाय सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संघातित कार्यक्रम को चलाने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराने-अभिलेख, भूमि-भवन, कर्नेलर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है तो प्राद को इसकी जानकारी देनी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्तका संस्था को संस्था संचालन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3. ✓ उक्त प्रदेश प्रायोगिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का संबद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्रतिबंधानुसार प्राद को मांग पर अपने कार्यवाही, भवन और कर्नेलर की परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेंगे।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था से ध्वनि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त/अभिलेख/परिषद/पारसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स के मांगानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की संबद्धित समस्त एवं की जायेगी।
- ✓ संबद्धित नतीज का अनुपालन न किये जाने तथा नतीज का उत्तराधान किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

(अशीत कुमार सि)

सचिव

सूचना- प्रायोगिक/परिषद संख्या/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठान:-

प्रधानाचार्य/निदेशक KARAMAT COLLEGE OF PHARMACY

(अशीत कुमार सि)

सचिव